न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–76 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
जसाराम पुत्र राजूराम जाति कलबी निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर		1. चैनाराम पुत्र राजूराम 2. नारायणराम पुत्र राजूराम 3. अमराराम पुत्र राजूराम 4. रूपाराम पुत्र चैनाराम जाति कलबी निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–09.6.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1986/623 क्षेत्रफल 46–10 बीधा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 17.6.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1986/623 क्षेत्रफल 46–10 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	अमराराम पुत्र राजूराम जाति पटेल सा.कल्याणपुर	कल्याणपुर	1986/623	0.2995	बा.अ.	0.46	नक्शे में दर्शित अनुसार
2	जसाराम पुत्र राजूराम जाति पटेल सा.कल्याणपुर	कल्याणपुर	1986/623	2.4119	बा.अ.	3.71	नक्शे में दर्शित अनुसार
3	नारायणराम पुत्र राजूराम जाति पटेल सा.कल्याणपुर	कल्याणपुर	1986/623	2.4119	बा.अ.	3.71	नक्शे में दर्शित अनुसार
4	चैनाराम पुत्र राजूराम हिस्सा 277/297 रूपाराम पुत्र चैनाराम हिस्सा 20/297 जाति पटेल सा.कल्याणपुर	कल्याणपुर	1986/623	2.4038	बा.अ.	3.71	नक्शे में दर्शित अनुसार

तहसीलदार,कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधियत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.6.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:35 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

जसाराम पुत्र राजूराम
जाति कलबी निवासी कल्याणपुर
तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील कल्याणपुर

1. चैनाराम पुत्र राजूराम
2. नारायणराम पुत्र राजूराम
3. अमराराम पुत्र राजूराम
4. रूपाराम पुत्र चैनाराम

जाति कलबी निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 762/2019

निर्णय दिनांक :—09.6.2023

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 09.6.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**ः—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 09.6.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:35 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा